संख्या–1197 /उन्तीस(2)/17–2(112 पे0)/2016

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांकः 04 अगस्त, 2017**

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्धार, सुदृढ़ीकरण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2306/वि0अनु0/ 02/शा0अनु0/ 2017–18 दिनांक 01 जुलाई,2017 व पत्र संख्याः 2595/वि0अनु0/ 02/अनुदान/ 424/2016–17 दिनांक 119 जुलाई,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न शासनादेशों द्वारा नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्धार, सुदृढ़ीकरण मद के अन्तर्गत स्वीकृत 09 निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की कुल अनुमोदित लागत रू0 1256.00लाख के सापेक्ष वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि रू0 656.33लाख को कम करते हुए, अवशेष रू0 599.67लाख के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित कार्यों के कालम–6 में अंकित विवरणानुसार रू0 503.33लाख(रू0 पांच करोड़, तीन लाख, तैतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च,2018 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(ii) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन में उन योजनाओं जिनमें कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 80% से अधिक हो अथवा कार्य पूर्ण होने की स्थिति में हैं, को वरीयता दी जाय।

(iv) योजनावार/कार्यवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक योजना का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(v) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का आवंटन कदापि न किया जाय।

(vi) उक्तानुसार चालू योजनाओं पर धनावंटन/व्यय करने के निमित योजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में निहित अन्य समस्त शर्तों, यथालागू का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01–जलापूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–05–नगरीय पेयजल–02–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार, सुदृढ़ीकरण (2215–01– 101–05–03से रखरखाव हेतु)–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या–H1708130293 दिनांक 02 अगस्त,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/ XXVII (1)/2017 दिनांक 30 जून,2017 में निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या– 1197/उन्तीस(2)/17–2(112 पे0)/2016, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।